गवर्नर की नज़र में : वार्षिक रिपोर्ट, 2014-15

1. भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से भारत के जनसामान्य को यह सूचित किया जाता है कि पिछले वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक से कौन से कार्य करने की अपेक्षा की गई थी और कितने कार्य वास्तव में किए गए। इस रिपोर्ट में, भारतीय रिज़र्व बैंक आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावों को भी प्रस्तुत करता है। हमारी कार्रवाई वर्तमान समष्टि-आर्थिक वातावरण तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए हमारे बृहत मध्यावधि ढांचे से प्रभाव ग्रहण करते हुए की जाती है।

वर्तमान समष्टि-आर्थिक वातावरण की चुनौतियां

2. हाल के वर्षों में सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में समष्टि-आर्थिक स्थिरता कायम रखने के लिए भरसक प्रयास करने के बावजूद रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण से अभी भी तीन क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ''कार्य प्रगति पर है'' की स्थिति बनी हुई है। पहला, आर्थिक विकास अभी भी उस स्तर से नीचे बना हुआ है जिसे प्राप्त करने की राष्ट्र में क्षमता है। दूसरा, जनवरी 2016 (अगस्त 2015 के प्रारंभ के अनुसार) के मुद्रास्फीति के अनुमान अभी भी भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति प्रयोजन-सीमा से अधिक बने हुए हैं। तीसरा, आधार दर में कटौती करने की बैंकों की इच्छा जिसके लिए उन्हें नये कारोबार आकर्षित करने हेतु मौजूदा उधारकर्ता से होने वाली आय को छोड़ना पड़ता है - यह स्थिति खामोश बनी हुई है, न केवल कमज़ोर कार्पोरेट निवेश से नये लाभदायक ऋणों की मात्रा घट गई है, बल्कि कुछ बैंकों की पूंजी की स्थिति एनपीए के कारण कमज़ोर पड़ गई है, जिसकी वजह से वे मुक्त रूप में उधार नहीं दे पाएंगे।

3. इसलिए रिज़र्व बैंक की अल्पकालिक समष्टि-आर्थिक प्राथमिकताएं बहुत ही स्पष्ट हैं: प्रस्तावित ग्लाइड-पथ के अनुरू प मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाने पर फोकस करना, सरकार और बैंकों के साथ मिलकर दबावग्रस्त परियोजनाओं के समाधान कार्य में तेजी लाना तथा बैंक के तुलनपत्र को साफ-सुथरा बनाना, यह सुनिश्चित करना कि बैंकों के पास पूंजी उपलब्ध हो ताकि वे प्रावधान कर सकें, नई उधारी को समर्थन प्रदान कर सकें और इस प्रकार भविष्य में दरों में संभावित कटौती से आसानी से गुज़र सकें।

मुद्रास्फीति का उद्देश्य

4. भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार के साथ एक ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें मध्यावधि में लचीली मुद्रास्फीति के उद्देश्य के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिदेश का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस वर्ष में वित्त मंत्री ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के बाद मौद्रिक नीति समिति की संरचना तैयार करने का प्रस्ताव किया है जिसे औपचारिक और कानूनी तौर पर नीतिगत निर्णय लेने का दायित्व सौंपा जा सकता है। यह एक ऐसी संस्था बनाने का स्वागत योग्य कदम है जिसकी हमें पारदर्शी तथा स्वतंत्र मौद्रिक नीति के लिए आवश्यकता है।

5. चलनिधि प्रबंधन की ओर देखें तो पाएंगे कि भारतीय रिज़र्व बैंक काफी हद तक विंडो व्यवस्था जहां से बैंक नियत मूल्य पर चलनिधि प्राप्त कर सकते हैं, से बाज़ार में चलनिधि की नीलामी करने की व्यवस्था तक आ गया है। इसका मकसद यह है कि इस प्रकार के पर्याप्त परिचालन किए जाएं ताकि भारित औसत मांग मुद्रा दर (सहकारी बैंकों द्वारा किए जानेवाले बाज़ार से इतर लेनदेन से उत्पन्न) को नीतिगत दर के निकट बनाए रखा जा सके। चलनिधि की आवश्यकता में तालमेल बनाए रखने के लिए अल्पकालिक लिखतों (जैसे - ओवरनाइट रेपो और रिवर्स रेपा) तथा दीर्घकालिक लिखतों जैसे - खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) के बीच चयन करते समय बैंक इस बात का आकलन करता है कि वह अपनी ''स्थायी'' परिसंपत्तियों को किस गति से बढ़ाना चाहता है, जो विदेशी मुद्रा भंडार और सरकारी बांडों के योग पर निर्भर करता है और उसके अनुसार बैंक निर्णय लेता है।

दबावग्रस्त परिसंपत्तियां और तात्कालिक समाधान

6. बैंक की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के बारे में कार्रवाई करते समय, भारतीय रिज़र्व बैंक का फोकस इस बात पर होता है कि महत्वपूर्ण वास्तविक परियोजनाओं को किस प्रकार से वापस क्रियाशील किया जाए। इसमें कई प्रकार की बाधाएं हैं। पहली, ''अनर्जक'' बन जाने का दाग लगना तथा ऋण से जुड़े प्रावधान (और लाभप्रदता में गिरावट), बैंक को इस दाग से बचने के लिए उकसाते हैं। कुछ मामलों में, वे इस हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं कि मौजूदा ऋण को अवलिखित (रिटेन डाउन) करना ही पड़ेगा क्योंकि जब उन्हें मंजूर किया गया था तब से अब तक परिस्थितियां बदल चुकी हैं (जिनमें शामिल हैं - अत्यधिक विलंब, अत्यधिक लागत, मांग का अतिआशावादी अनुमान)। रेगुलेटरी सहिष्णुता के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए यह समझना आसान बना दिया है कि 'प्रदान करना और प्रदान करने का दिखावा करना' कोई समाधान नहीं है। चूंकि कोई अन्य हितधारक

- जैसे प्रवर्तक, शुल्क-दर प्राधिकारी और कर प्राधिकारी आदि का इसमें कोई योगदान नहीं है, इसलिए वास्तविक परियोजना ढीली पड़ जाती है और धीरे-धीरे अलाभकारी बन जाती है। इस बीच, विश्लेषक बैंक के तुलनपत्र और ''पुनः संरचित'' परिसंपत्तियों की बढ़ती हुई मात्रा के प्रति काफी शंकालु बन जाते हैं। दूसरी बाधा यह है कि कुछ बड़े प्रवर्तक बैंक के इस भय का कि कहीं परिसंपत्ति अनर्जक न बन जाए, फायदा उठाने लगते हैं और अनपेक्षित रियायतें हासिल करते हैं, जबकि वे अपनी शेयरधारिता के मूल्य में से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। अनेक उधारदाता सहायक विधेयक जैसे सरफेसी अधिनियम के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया, पहुंच रखने वाले प्रवर्तकों से उधारदाताओं द्वारा अपने जायज़ बकायों को वसूलने की क्षमता के प्रति और भी बाधा बनी हुई है।

7. इस लकवाग्रस्त व्यवस्था तथा हानियों के अनुचित वितरण दोनों के उपचार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई प्रकार की कार्रवाई की है। पहली, इसने ₹50 मिलियन से अधिक के ऋणों का डाटाबेस तैयार किया है (सीआरआइएलसी डाटाबेस) और बैंकों तथा एनबीएफसी को सूचित किया है कि वे ऋणों की स्थिति की सूचना नियमित रूप से देते रहें। दबावग्रस्त परियोजनाओं की समय रहते पहचान हो जाने से अच्छा मौका रहता है कि उन्हें दुबारा पटरी पर लाया जा सके। अतः यदि किसी ऋण का 60 दिन से अधिक अवधि तक अतिदेय पाया जाता है तो उस उधारकर्ता को उधार देने वाले सभी उधारदाता एक संयुक्त उधार मंच (जेएलएफ) में एकत्रित हों और इस बात पर विचार करें कि इससे जुड़ी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। जेएलएफ को समय का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा परियोजन के ऋण की वर्गीकरण स्थिति को नीचे गिराना पड़ेगा। दूसरी ओर, यदि समय की पाबंदी की जाती है तो ऋण वर्गीकरण के ग्रेड को कम करना रोका जा सकता है। इसके अलावा, सभी ऋणदाताओं को एक मंच पर लाकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रवर्तकों तथा ऋणदाताओं के लिए आसानी पैदा कर दी है कि वे उनमें इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में परस्पर सहमति बने, इससे यह काम भी मुश्किल हो जाएगा कि प्रवर्तक एक-दूसरे ऋणदाता के प्रति कोई खेल सके।

8. कुछ अन्य रेगुलेटरी कार्रवाइयां भी ध्यान देने योग्य हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुनःसंरचित ऋण के प्रति सहिष्णुता दृष्टिकोण समाप्त कर दिया है। अब पुनःसंरचित ऋण को अनर्जक ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। किंतु, खराब तरह की ऋण संरचना जैसी वास्तविक समस्या से निपटने के लिए बैंकरों को यह अनुमति दी गई है कि वे आधारभूत सुविधा तथा प्रमुख क्षेत्र को दिए गए अर्जक ऋणों के चुकौती प्रोफाइल को थोड़ा लंबा खींचें (जिसे ''5/25'' नियम कहा जाता है), बशर्ते वह परियोजना कमर्शियल प्रयोजनों के लिए तैयार हो, जिसका कमर्शियल-जीवन वास्तव में सुदीर्घ हो और ऋण का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का मूल्य बनाए रखा जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक ''5/25'' चुनिंदा सौदों में से कुछेक की आवधिक जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वास्तविक समायोजन के लिए ही सुविधा दे रहे हैं या फिर मूलधन के भुगतान को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देने हेतु पिछले दरवाजे के माध्यम बन रहे हैं। ऋण पुनर्रचना के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी ने बैंकों को यह अनुमति दी है कि यदि दुबारा वह परियोजना दबावग्रस्त हो जाए तो ऐसे ऋणों को इक्विटी में बदलने के संबंध में उन खण्डों (क्लाजेज) का उल्लेख करें जो इस बात की अनुमति देते हैं। ऋण-पुनर्रचना की इस प्रकार की रणनीति से न केवल ऋणदाता का हाथ थोड़ा ऊपर रहेगा, बल्कि इससे परियोजना के कर्ज में भी कमी आएगी, इससे उनको वह नियंत्रण हासिल होगा जिससे वे परिसंपत्ति का पुनः नियोजन (जैसे-किसी अधिक प्रभावी प्रवर्तक के पास) भी कर सकेंगे।

9. इसके अलावा, इस प्रकार की समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को इस संबंध में किए गए विभिन्न उपायों की क्षमता पर निगरानी करना है और जहां आवश्यक है वहां निवारात्मक कार्रवाई करनी है। बैंकों को पुनः पूंजी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा धन दिए जाने का प्रस्ताव स्वागतयोग्य है, क्योंकि जैसाकि इसमें प्रस्ताव है कि धन का आबंटन तुलनपत्रों को साफ-सुथरा बनाने में हुई प्रगति पर निर्भर करेगा और स्वस्थ संवृद्धि का विकास किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक आगामी वर्ष में होने वाली प्रगति का स्वागत करेगा अर्थात् उक्त के समाधान के लिए आवश्यक संस्थाओं का सृजन जैसे - नई बैंकरप्सी संहिता और कंपनी विधि न्यायाधिकरण जो इसको नियंत्रित करेंगे और वित्तीय समाधान प्राधिकरण (वित्तीय संस्था की दबाव समस्या के समाधान हेतु) की स्थापना करना।

मध्यावधि चुनौतियां

10. एक रेगुलेटरी दृष्टिकोण जो पूर्व में काफी प्रचलित रहा है, वह यह कि रेगुलेटरी सुधार की गति को हमारे बैंकों, खासतौर से हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंकों की क्षमता को देखते हुए सीमित रखा जाए। बैंकिंग प्रणाली में वर्तमान दबाव से पता चलता है कि वास्तविक अर्थव्यवस्था बैंकिंग प्रणाली का इंतज़ार नहीं करेगी और सुधार की धीमी गति बैंकिंग प्रणाली में मौजूद जोखिम को

कम करने के बजाय और बढ़ा देगी। वित्तीय क्षेत्र में कई मोर्चों पर सुधार करने की आवश्यकता है।

11. भारत जैसे बड़े और घनी आबादी वाले देश में सुधारों को अंधेरे में नहीं दागा जा सकता, इससे तो अर्थव्यवस्था में और अधिक अनिश्चितता और जोखिम पैदा हो जाएगा। जहां भी संभव है, हमें निरंतर और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है ताकि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहे जबकि उनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमों को सदैव सीमित रखा जाए। इस संदर्भ में एक चीनी कहावत सटीक है - ''पैरों के नीचे पत्थरों को महसूस करते हुए नदी पार करना''। यह हमारी स्वयं की सुधार-प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत उपयुक्त मिसाल है।

12. वित्तीय क्षेत्र में हमें और अधिक प्रवेश एवं प्रतिस्पर्धा के माध्यम से क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। जब प्रतिस्पर्धात्मक रण-भूमि एक स्तर पर पंहुच जाएगी तब सबसे उपयुक्त संस्थाएं टिकी रह जाएंगी, इसके लिए हमें जहां संभव हो रेगुलेटरी विशेषाधिकार और रुकावटों को हटाना होगा, खासतौर से कुछ रूप में स्वामित्व को लेकर या कुछ खास प्रकार की संस्था के स्वरूप को लेकर जहां पक्षपात हो। हमें अपने वित्तीय बाज़ारों में सहभागिता को और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उनके आकार, उनकी गहराई और चलनिधि में वृद्धि हो सके। आर्थिक सहायता या सब्सिडी के माध्यम से सहभागिता बढ़ाना उत्तम नहीं है बल्कि सहायक संरचना का निर्माण करके जो पारदर्शिता को बेहतर बनाए, संविदागत प्रवर्तन, और अनुचित प्रथाओं के विरुद्ध बाज़ार सहभागियों को संरक्षण प्रदान करके। सहायक संरचना की लागत को कम करने में प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है, और अभी भी जो आबादी वंचित है उसे वित्तीय दायरे में लाया जा सकता है। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ कि यही वो चिंतन हैं जो हमारे मध्यावधि सुधार का मार्गदर्शन करेंगे।

बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाएं

13. बैंकिंग प्रणाली पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वर्चस्व है। जहां अनेक असाधारण अधिकारियों ने लंबे समय से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आगे बढ़ाया है, वहीं हाल में बैंकों के निष्पादन में कमी से यह पता चलता है कि उसमें सुधार करने की गुंजाइश है। नायक समिति रिपोर्ट के अनुसरण में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन बैंकों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद अलग-अलग कर दिए जाएं, जिससे इन पदों में से कई पदों पर निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों पर भी विचार करने के लिए दरवाज़े खुल जाएंगे, और उपयुक्त अनुभव के पेशेवर बोर्ड सदस्यों को लेते हुए इन बैंकों के बोर्डों को पेशेवराना बना दिया जाएगा। इसके अलावा, सरकार का बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) स्थापित करने का इरादा है, जिसमें उच्च प्रतिष्ठावाले प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें डोमेन का अनुभव होगा, जो नियुक्ति प्रक्रिया का कार्य संभालेंगे।

14. भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेगुलेशन के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के छोटे-छोटे कार्यों के नियंत्राण से स्वयं को हटा लिया है और बोर्डों को इस बात की अनुमति दे दी है कि वे स्वयं यह निर्धारण करें कि कार्यनीति-योजना, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन आदि के अपने दायित्वों को वे किस प्रकार निभाएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंक बोर्ड सदस्यों को मिलने वाले मुआवजे को भी उदार बना दिया है, हालांकि थोड़ी सी निगरानी रखी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बोर्ड के सदस्यों को उचित रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

15. चूंकि सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रतिभाएं हासिल करने के लिए उसी बाज़ार में स्पर्धा कर रहे हैं जहां से निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक कर रहे हैं और चूंकि गत वर्षों में प्रतिभाएं लेने का कार्य ठप्प कर दिया गया था इसलिए मध्य-प्रबंधन के स्तर पर कौशल-अंतराल बढ़ रहा है, यदि उन्होंने मध्य-प्रबंधन और वरिष्ठ प्रबंधकों तथा बोर्ड के सदस्यों को उपयुक्त मुआवजा देने के लिए ध्यान नहीं दिया तो उन्हें इसका अनावश्यक रूप से खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। निःसंदेह, अधिक वेतन के साथ बेहतर निष्पादन की जवाबदेही तो जुड़ ही जाती है। यह देखते हुए कि एक जैसा कार्य करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अनेक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लागतें अधिक है, इसलिए इस बात की थोड़ी गुंजाइश है कि मुआवज़े के पैटर्न को बेहतर बनाने के साथ-साथ लागत को भी युक्तिसंगत बनाया जाए। वहीं पर, हमें यह मानना होगा कि सरकारी क्षेत्र के बैंक ऐसी लोकहित की गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं (जैसे *प्रधानमंत्री जन धन योजना* के अंतर्गत खातों का रोलआउट) जिसका पूरा मुआवज़ा नहीं दिया जाता है। सरकार को चाहिए कि वह स्पर्धा में खेल का स्तर समान बनाए रखे और वह लोकहित के जिन कार्यों को करवाना चाहती है उसका बैंक को पूरा-पूरा मुआवज़ा दे।

16. भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी के तत्वावधान में गठित समिति ने शहरी सहकारी बैंकों में मालेगाम समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करते हुए गवर्नेंस को बेहतर बनाने के तरीके बताए हैं। समिति की सिफारिशों के मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन के बाद नये शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। समिति ने ऐसे तौर-तरीकों का भी प्रस्ताव किया है जिसके माध्यम से बहु-प्रदेशीय सहकारी बैंकों सहित अच्छी तरह से कार्य कर रहे सहकारी बैंकों को संयुक्त स्टॉक कंपनियों में बदला जा सकता है।

17. बैंकिंग क्षेत्र स्पर्धा के मामले में काफी परिवर्तन का एहसास करेंगे क्योंकि दो नये युनिवर्सल बैंकों का परिचालन प्रारंभ हो रहा है और कई भुगतान बैंकों तथा छोटे वित्त बैंकों को इस साल के अंत में लाइसेंस के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। भुगतान बैंक देश के कोने-कोने में बैंक खाता प्रदान करेंगे तथा नई प्रौद्योगिकी एवं नये भौतिक-एक्सेस-बिंदु के माध्यम से भुगतान तथा नकदी अंतरण को सहज बनाएंगे। छोटे वित्त बैंकों से अपेक्षा है कि वे छोटे खिलाड़ियों को ऋणों का आबंटन करेंगे और वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे। मुद्रा लिमिटेड भी अनिगमित ऋण-दाताओं को पुनर्वित्त तथा प्रतिभूतिकरण की सेवाएं प्रदान करके उपर्युक्त प्रयासों में सहायता प्रदान करेगा। लाइसेंस प्रदान करने के प्रथम चक्र से प्राप्त अनुभवों की समीक्षा करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक का इरादा यह है कि लाइसेंसीकरण प्रक्रिया को ''आवश्यकता आधार'' बना दिया जाएगा और जब भी लाइसेंस हेतु आवेदन प्राप्त होंगे उनपर इसी आधार पर विचार किया जाएगा।

18. गैर-बैंकिंग वित्ती कंपनियां (एनबीएफसी) हमारे वित्तीय परिदृश्य का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने समस्त एनबीएफसी के लिए रेगुलेशन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है और यदि कोई एनबीएफसी सिस्टम के अनुसार नहीं है, जिसके पास खुदरा ग्राहक नहीं है या फिर जनता से धन नहीं जुटाती है, उनके मामले में रेगुलेटरी दबाव को कम कर दिया गया है। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी तथा एनबीएफसी के बीच एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए एनपीए, पूंजी की आवश्यकता तथा प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं आदि से संबंधित रेगुलेशंस को सुसंगत बना दिया है।

अन्य विनियामकीय (रेगुलेटरी) परिवर्तन

19. रेगुलेशन से संबंधित नये बासेल मानदंडों को कार्यान्वित किया जाना है। रिज़र्व बैंक ने लीवरेज अनुपात, प्रतिचक्रीय पूंजी बफर, घरेलू स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के लिए पूंजी, बड़े एक्सपोजर की अपेक्षित सीमा, और विभिन्न चलनिधि अनुपात के संबंध में ढांचे तैयार किये हैं। जहां रिज़र्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मान्यताओं में घरेलू-स्थितियों के अनुरूप काट-छांट करेगा वहीं इसका इरादा अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं को समय पर पूरा करना है।

20. रेगुलेशंस में तेजी से होते हुए परिवर्तनों को देखते हुए हमें समय-समय पर पीछे देखने और समस्त रेगुलेटरी पुस्तिका को बदलने की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक की योजना है कि 1 जनवरी, 2016 तक अच्छी तरह से संशोधित मास्टर दस्तावेज लाया जाए जिसमें विभिन्न रेगुलेटरी मामले शामिल रहेंगे। प्रत्येक मास्टर-दस्तावेज एक विषय पर लागू विनियमों के बारे में यूजर-फ्रेंडली कंपेंडियम होगा। प्रत्येक को वास्तविक समय पर अद्यतन किया जाएगा, और यह कोशिश होगी कि जहां संभव हो रेगुलेशंस को व्यवस्थित और आसान बनाया जाए।

पर्यवेक्षीय परिवर्तन

21. जैसे-जैसे हमारे विनियमों में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार पर्यवेक्षण में भी होना चाहिए। हम सूचनाओं को एकत्रित करने तथा उन्हें प्रसारित करने की अपनी प्रणाली, अपने निरीक्षण तथा विश्लेषण के तरीके और अपने स्टाफ की क्षमताओं को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हम निरंतर आधार पर रेगुलेशंस को युक्तिसंगत बनाते रहेंगे लेकिन अनुपालन न करने की स्थिति में अत्यधिक कड़ाई की जाएगी।

22. बड़े ऋणों के बारे में सीआरआइएलसी डाटाबेस के माध्यम से; नई धोखाधड़ी रजिस्ट्री जिसमें धोखाधड़ी को पकड़ने तथा बैंकिंग धोखाधड़ी से रुबरू होने का विस्तृत ढांचा जुड़ा हुआ है, के माध्यम से; तथा बैंक के दबावग्रस्त होने के बारे में पहले से ही चेतावनी देने वाली नई प्रणाली के माध्यम से और अधिक जानकारी एकत्रित एवं प्रसारित की जा रही है। इसके अलावा, हमारी योजना है कि हमारे समस्त पर्यवेक्षी डाटा को बाधारहित डाटाबेस से जोड़ दिया जाए।

23. भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2013 में हमारे कुछ बड़े बैंकों का जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण करना प्रारंभ किया है। इस संबंध में हुए अनुभवों का हम मूल्यांकन कर रहे हैं तथा बहुपक्षीय एजेंसियों की सहायता से उन्हें संगत बनाते हुए अपनी पद्धतियों

को परिष्कृत कर रहे हैं। हम अपनी वित्तीय स्थिरता इकाई के माध्यम से प्रणालीगत जोखिम का भी मूल्यांकन कर रहे हैं।

24. प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए बैंक और प्रणाली दोनों स्तरों पर साइबर-सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपने निरीक्षकों की सक्षमताओं को उन्नत बनाने के बारे में भी कार्य कर रहा है ताकि वे बैंक-प्रणाली की लेखा-परीक्षा कर सकें और उनमें निहित प्रभावित करने वाली खामियों का पता लगा सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक एक आईटी सहयोगी संस्था स्थापित करने की प्रक्रिया में है जो उद्योग से सीधे ही भर्ती कर सकेगी और जो रिज़र्व बैंक को बेहतर नियंत्रण योग्यता प्रदान करेगी तथा प्रौद्योगिकी पर निगरानी रखेगी।

25. अंततः, भारतीय रिज़र्व बैंक राज्यस्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सहायता प्रदान करेगा ताकि वे लोगों के विश्वास का दुरुपयोग करने से पहले ही अनधिकृत वित्तीय परिचालकों का पता लगा सकें। एसएलसीसी की उप-समिति इस संबंध में रेगुलेटरों तथा कानून-प्रवर्तन प्राधिकारियों से निरंतर संपर्क बनाए रखेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक, एसएलसीसी को वेबसाइट विकसित करने में सहायता प्रदान करेगा, जहां से जनसाधारण सूचना प्राप्त कर सकेंगे और सूचना दे सकेंगे कि गैर-बैंक परिचालकों द्वारा दी जा रही सेवाएं कितनी वैध हैं।

ऋण प्रबंधन और बाज़ार

26. भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऋण निर्गमों के प्रबंधन का कार्य करता रहा है ताकि जोखिम कम हो और साथ ही लेनदेन तथा वित्त पोषण की लागतें न्यूनतम रखी जा सकें। इसका अर्थ यह है कि अन्य बातों के साथ-साथ मध्यावधि के लिए एक स्पष्ट ऋण नीति तैयार करना, निर्गमों की परिपक्वता अवधियां अलग-अलग रखना ताकि प्रतिभूतियों का समूहन न किया जा सके तथा कुछ परिपक्व निर्गमों की स्विचिंग या पुनर्खरीद न की जा सके। इसका यह भी आशय है कि चलनिधि की स्थिति को बेहतर बनाना, लंबे समय के खिलाड़ियों जैसे - पेंशन निधि और बीमा कंपनियों की भूमिका को बढ़ाते हुए सरकारी प्रतिभूतियों हेतु बाज़ार में समुत्थान-शक्ति एवं गहनता पैदा करना, विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों के लिए और अधिक गुंजाइश पैदा करने जो भविष्य-सूचक हो और घरेलू फुटकर निवेशकों के लिए आसानी पैदा करना ताकि वे 'डीमैट' खातों के माध्यम से सहभागिता कर सकें।

27. सरकार की ओर से ऋण जारी करने के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी इलेक्ट्रानिक भुगतान एवं प्राप्तियों तथा उसके लेखांकन कार्य को सहज बनाने के बारें में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ निकटता से कार्य करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपने ई-कुबेर प्लेटफार्म के माध्यम से इसके कुछ कार्य स्वतः करता रहा है ताकि लागत को कम किया जा सके।

28. सरकार ने ऋण प्रबंध के लिए एक अलग एजेंसी पीडीएमए बनाने की घोषणा की है। इस पर सार्वजनिक चर्चा में कभी यह सुझाव दिया गया था कि एक स्वतंत्र पीडीएमए की स्थापना, जिसमें हितों का कोई संघर्ष नहीं होगा, सरकारी बांडों के प्रतिफल में भारी कमी आ जाएगी, ऐसा मुख्यता इसलिए होगा क्योंकि इस प्रकार की एजेंसी बंधे हुए सरकारी-स्वामित्व वाली या सरकार द्वारा रेगुलेटेड संस्थाओं को ऋण बेचने में असमर्थ रहेगी और इस प्रकार से सरकार को अपना राजकोषीय घाटा कम करने के लिए बाध्य करेगी। सरकार की राजकोषीय समेकन के पथ में आगे बढ़ते रहने की मंशा को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था का फायदा बहुत ही छोटा होगा। जो भी हो, भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी कीमत पर पीडीएमए की स्थापना के लिए सरकार के साथ निकट से मिलकर कार्य कर रहा है।

29. भारतीय रिज़र्व बैंक की यह मान्यता है कि बैंकिंग प्रणाली के पूरक के रूप में और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए एक गतिमान वित्तीय बाज़ार की अहम भूमिका है जो जोखिमों को संवितरित कर देता है और समाहित कर लेता है। हमारा फोकस इस बात पर है कि अनेक प्रकार के उत्पाद लाए जाएं और सहभागी बढ़ाए जाएं तथा लेनदेन की लागत को भी कम किया जाए, साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि वित्तीय स्थिरता बनी रहे।

30. कार्पोरेट ऋण बाज़ार में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को ऐसे दीर्घकालिक बांड जारी करने की अनुमति दी है जो रेगुलेटरी परिकल्पना से मुक्त होंगे। रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय रुपया बाज़ार बनाने को प्रोत्साहित किया है और बहुपक्षीय संस्थाओं को विदेश में रुपये बांड जारी करने की अनुमति प्रदान की है और भारतीय कार्पोरेट्स को भी इसी प्रकार की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि साख-सुविधाओं के माध्यम से बैंक किस प्रकार से कार्पोरेट बांड के साख-निर्धारण को बढ़ा सकते हैं। अंततः, हालांकि कार्पोरेट बांड बाज़ार को वास्तव में उभारने के लिए एक तीव्र बैंकरप्सी प्रणाली की आवश्यकता होगी । सरकार ने यह

निर्देश दिया है कि वह इसे शीघ्रता से लागू करेगी ।

31. भारतीय रिज़र्व बैंक ने नये लिखतों जैसे एक्सचेंज में व्यापारयोग्य ब्याज दर फ्यूचर्स के विकास को प्रोत्साहित किया है। बैंक की यह योजना है कि ब्याज दर आप्शंस, अनेक प्रकार के स्वैप्स (स्वैप निष्पादन सुविधा सहित), तथा एक से दूसरी करेंसी में फ्यूचर्स तथा आप्शंस के लिए मार्ग खोले जाएं। जहां संभव होगा, भारतीय रिज़र्व बैंक लिखत प्रारंभ करते समय अनेक डिज़ाइन के लिखतों को लाने और सहभागिता की अनुमति देने में अधिक उदारता बरतेगा, और एक बार इस कारोबार के गति पकड़ लेने के बाद उसके स्थिरता संबंधी मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

करेंसी और भुगतान

32. हमारा देश अभी भी बहुत से लेनदेन के लिए प्रत्यक्ष करेंसी पर निर्भर है। भारतीय रिज़र्व बैंक जारी किए जा रहे बैंक नोटों की गुणवत्ता बढ़ाने पर लगातार ज़ोर दे रहा है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि नोटों को हर उस स्थान पर उपलब्ध करवाया जाए जहां उसकी आवश्यकता है। बैंक नोटों की एक नई श्रृंखला शीघ्र ही जारी की जाएगी और हम प्लास्टिक/पालिमार से बनी नोट जारी करने के लिए एक प्रारंभिक परियोजना की शुरुआत करना चाहते हैं। हमने करेंसी के वितरण के लिए संभार-तंत्र की व्यवस्था का भी परीक्षण किया है तथा हम अपने वर्तमान मॉडल में भारी परिवर्तन करना चाहते हैं, जिसमें इस बात पर अधिक ज़ोर दिया जाएगा कि बैंक करेंसी को भंडारित करने एवं उसके वितरण का कार्य लेने के लिए प्रोत्साहित हों। इसके अलावा, हमारा ज़ोर इस बात पर भी होगा कि सिक्कों (सिक्का मशीनों में तथा सिक्का एकत्रीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से) तथा नोटों (ऐसे एटीएम के माध्यम से जो नकदी नोटों को स्वीकार करे और उन्हें पुनः परिचालित करे) को वापस लेने का कार्य विकेंद्रीकृत कर दिया जाए।

33. यह एक सच्चाई है कि कुछ समय बाद नकदी का इस्तेमाल कम होता जाएगा और लेनदेन की कीमतें कम हो जाएंगी तथा काले धन की भूमिका घट जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक सरकार के साथ मिलकर इलेक्ट्रानिक भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहा है। नई संस्थाएं जैसे भारत बिल भुगतान प्रणाली, और नई प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से मोबाइल के माध्यम से भुगतान जैसी प्रणाली स्थापित होंगी जिनसे इस प्रकार के भुगतान आसानी से किए जा सकेंगे।जहां भारतीय रिज़र्व बैंक का यह मानना है कि इसके लिए रेगुलेटरी व्यवस्था अपनाई जाए और उसे प्राप्त करने के लिए वह हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करेगा, वहीं यह बात सहन नहीं की जाएगी कि कोई उपयोगकर्ता केवल इस आधार पर उनका उल्लंघन करे कि वर्तमान रेगुलेशन पुराने हो गए हैं। उदाहरण के लिए, किसी परिचालक से छोटे मूल्य के भुगतानों के संबंध में नियमों का उल्लंघन करना बंद करने के लिए कहने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसी जारीकर्ता को यह अनुमति दे दी है कि वह छोटे मूल्य के भुगतानों के लिए दो - व्यक्तियों द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया को त्याग दे, बशर्ते उसके लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था मौजूद हो। भारतीय रिज़र्व बैंक का विश्वास है कि समय बीतने के साथ-साथ मोबाइल और इंटरनेट-आधारित भुगतान व्यवस्था में विस्फोट पैदा होगा और वह वित्तीय क्षेत्र के साथ मिलकर उसे सहज बनाने के लिए कार्य कर रहा है।

वित्तीय समावेशन

34. *प्रधानमंत्री की जन धन योजना* ने बड़ी आबादी के लिए खातों का आधार बना दिया है। सरकार ने अगले कदम के रूप में इन खातों से अनेक वित्तीय सेवाएं जैसे दुर्घटना और जीवन बीमा और प्रत्यक्ष लाभ भेजना जैसे-छात्रवृत्ति, पेंशन तथा सब्सिडी जमा करना जोड़ दिया है। हमें कारोबार प्रतिनिधि, भुगतान बैंक, प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों के माध्यम से बैंक खातों तक पहुंच को आसान बनाना होगा ताकि उनका बार-बार उपयोग हो। गृहस्थों के लिए वित्तीय समावेशन की दिशा में हमारा अगला उद्देश्य होगा भुगतान को आसान बनाना, नकदी जमा करने तथा नकदी निकालने की सुविधाओं तक पहुंच, तथा बड़े पैमाने पर सुरक्षित बचत लिखतों की उपलब्धता की व्यवस्था करना।

35. हमें छोटे उत्पादनकर्ताओं के लिए उधार लेना आसान बनाना होगा, चाहे वे किसान हों, स्वयं सहायता समूह हो या कारोबार हों। इसके लिए हमें बड़ी शिद्दत से ऋण-सूचना ब्यूरो, संपार्श्विक रजिस्ट्रीज तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की संरचना तथा कार्य-प्रणाली में सुधार करना होगा, ऋण का प्रवाह तब आसानी से होता है जब उधारदाता को यह यक़ीन दिलाया जाए कि उसका पैसा वापस मिल जाएगा, इसलिए यदि ऋण मिलना आसान होता है तो ऋण चुकाने में चूक को रोकने की प्रणाली भी होनी चाहिए। शायद संपार्श्विक मूल्य का सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत भूमि है। हमें पूरे देश में भूमिकी डिजिटल पैमाइश तथा भूमि-स्वामित्व का एक अच्छा रिकॉर्ड चाहिए ताकि भूमि का संपार्श्विक के रूप में प्रभावी इस्तेमाल हो सके।

36. नई संस्थाएं जैसे- व्यापार प्राप्य मितिकाटा प्रणाली (जहां छोटी फर्में बड़ी फर्मों से प्राप्यों को विक्रय हेतु पोस्ट कर सकती है) और लघु वित्त बैंक की स्थापना की जा रही है ताकि छोटी फर्मों को ऋण आसानी से मिल सके। मुद्रा लिमिटेड से भी छोटे-छोटे उत्पादकों को ऋण प्रदान करने के नवोन्मेषी नये चैनल शुरू किए जाएंगे।

37. भारत में प्राथमिकता क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें संभाव्यता बहुत हैं और विश्वसनीय है, लेकिन किसी विशेष व्यवस्था के अभाव में उन्हें समय पर और पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता है। खासतौर से ये छोटी-छोटी राशि के ऋण होते हैं जैसे किसानों के लिए कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, गरीब लोगों को आवास के लिए, विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए तथा अन्य अल्प आय वाले समूहों एवं कमज़ोर वर्गों को ऋण की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में, ऐसे क्षेत्र पूरे भारत में पाए जाते हैं, खासतौर से पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में विद्यमान हैं।

38. प्राथमिकता क्षेत्र की गतिविधियों को बैंकों को अपने सामान्य कारोबार-परिचालन के रूप में करते रहना है, इसलिए बैंकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे इसे कारपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में न देखें। जहां तक रिज़र्व बैंक की बात है, इस संबंध एक महत्वपूर्ण सुविधा यह दी गई है कि ऐसे समस्त ऋण के मूल्य-निर्धारण को स्वतंत्र बना दिया गया है, बशर्ते मूल्य-निर्धारण दोहन स्वरूप के न हों। प्राथमिकता क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास तब तक सफल नहीं होंगे जबतक बाज़ार के खिलाड़ी उसकी संरचना, उत्पादों तथा प्रक्रियाओं में नवीनता लाने का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे।

39. भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देशों को पुनः तैयार किया है ताकि बदलती हुई अर्थव्यवस्था में वंचित या राष्ट्रीय स्तर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिए जाने वाले उधार पर ज़ोर दिया जा सके। विशेष रूप से इसमें छोटे और सीमांत किसानों के लिए 8 प्रतिशत का समायोजित निवल बैंक ऋण का नया लक्ष्य रखा गया है तथा सूक्ष्म उद्यमों के लिए 7.5 प्रतिशत का लक्ष्य है, वही मध्यम आकार की फर्मों को सामाजिक रूप से बुनियादी सुविधाओं जैसे प्रसाधन और ऊर्जा के नवीकरण हेतु निवेश को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण माना जाएगा।

40. वित्तीय समावेशन का यह भी आशय है कि इसमें शामिल किए गए नये और विशेष तरह के अपरिष्कृत ग्राहकों को अधिक संरक्षण प्रदान किया जाए, एक आसानी से पहुंच बनाने तथा तेजी से शिकायत निवारण की प्रक्रिया हो, और वित्तीय साक्षरता के लिए और भी विस्तारित प्रयास हो। जनता से परामर्श करके भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपभोक्ता अधिकार चार्टर विकसित किया है। बैंकों के बोर्डों से कहा गया है कि वे इस प्रकार की संरचना लागू करें जिससे उन अधिकारों की रक्षा हो सके। इस संरचना को कार्यान्वित कर दिए जाने के कुछ समय बाद भारतीय रिज़र्व बैंक उनमें से सर्वोत्तम प्रथाओं तथा आवश्यक रेगुलेशन, यदि आवश्यक हुआ तो, बनाए जाने पर विचार करेगा। तब तक भारतीय रिज़र्व बैंक फील्ड विजिट (दौरा) करेगा और गलत प्रकार से किए जा रहे विक्रय तथा बैंक की बुनियादी सुविधाओं जैसे शाखाओं तथा एटीएम की जांच करेगा और इस कार्य को और भी विस्तारित किया जाएगा।

41. भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी बैंकिंग लोकपाल प्रणाली की समीक्षा कर रहा है ताकि यह देखा जा सके कि इस प्रणाली को किस प्रकार से गैर-बैंक क्षेत्र के लिए भी लागू किया जा सकता है तथा इसे किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रत्येक बैंक से यह भी कहा गया है कि वे आंतरिक रूप से लोकपाल प्रणाली स्थापित करें जो बैंक के शिकायती मामलों की जांच करेगी और यह देखेगी कि उस शिकायत को भारतीय रिज़र्व बैंक की लोकपाल प्रणाली को भेजने से पहले क्या उसका समाधान संभव है।

42. वित्तीय साक्षरता, चाहे वह स्कूलों में पाठ्यक्रमों के माध्यम से दी जाए, बैंकों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा साक्षरता कैंपों के माध्यम से, या समाचारपत्र अथवा सोशल मीडिया अभियान द्वारा दी जाए, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अफसोस की बात है कि धोखेबाज़ आपरेटरों ने पाया है कि लालच शिक्षा पर भारी पड़ती है। पढ़े-लिखे लोग भी इस उक्ति 'यदि कोई बात इतनी अच्छी हो कि सत्य से भी परे लगे तो शायद वह सच ही होगी' के अनुसार आचरण नहीं कर पाते हैं। जो भी हो, यह हमारा कर्तव्य है कि हम कोशिश करें और अपने लोगों को बताने का प्रयास करें और हम उन शातिर तथा नई प्रौद्योगिकी, जन एवं सामाजिक मीडिया का इस्तेमाल करने वालों से कहीं बेहतर तरीके से लोगों तक अपनी पहुंच बना सकेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस प्रकार की मुहिम को बढ़ावा देगा और उनपर अधिक फोकस करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक में संगठनात्मक परिवर्तन और मानव संसाधन विकास

43. रिज़र्व बैंक ने इसकी बदलती हुई जिम्मेदारियों, खासतौर से अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए

कुछ नये विभाग बनाए है, कुछ को दूसरे में मिला दिया है और इस प्रकार स्वयं को 5 नये क्लस्टर में पुनः संगठित किया है : मौद्रिक नीति और अनुसंधान; 2) विनियम और जोखिम प्रबंधन; 3) पर्यवेक्षण और समावेशन; 4) वित्तीय बाज़ार और बुनियादी सुविधा; तथा 5) मानव संसाधन और परिचालन। यह पुनर्रचना इसी वर्ष की गई है।

44. इसके बाद से, अधिकांश अधिकारियों की भर्ती उन्नत सामान्य प्रवेश परीक्षा (2015 से प्रारंभ) के माध्यम से की जाएगी, जिन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान बैंक के बारे में समग्र रूप से बताया जाएगा, और उसके बाद उनके प्रारंभिक वर्षों में कुछेक क्लस्टर के बारे में स्वयं को विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेषज्ञता (स्पेशलाइजेशन) को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक विशेष रूप से कुछ सुयोग्य कर्मचारियों को उसी स्थान पर पदोन्नति देने पर विचार कर सकता है। किंतु अधिकांश कर्मचारियों के मामले में, जैसे-जैसे वे वरिष्ठ होते जाएंगे, कौशल-निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव आएगा और तकनीकी-कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रबंधकीय-कौशल प्राप्त करने में बदल जाएगी। इन अधिकारियों को जब वे अत्यधिक वरिष्ठ स्तर के हो जाएंगे, क्लस्टर के बीच पुनः मुक्त रूप से तैनात किया जाएगा।

45. बैंक अपनी आवश्यकता तथा स्टाफ-सदस्यों की विशेषज्ञता रुचि को ध्यान में रखकर और भी तैनातियां कर सकता है। इसका आशय यह भी है कि हम स्टाफ को मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से उनकी अपनी मनोवृत्ति (एप्टीट्यूड) का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करेंगे और इस प्रकार और भी विभेदीकृत निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से उन्हें उनकी शक्तियों और कमज़ोरियों को जानने में मदद मिलेगी। हमें सावधानीपूर्वक जॉब-प्रोफाइलिंग करके विभिन्न प्रकार के कार्यों की आवश्यकता का भी पता लगाना होगा। स्टाफ-सदस्यों को प्रशिक्षण देना होगा, साथ ही छात्रवृत्ति प्रदान करनी होगी ताकि उनमें आवश्यक कौशल पैदा हो तथा पाई गई खामियों को दूर करने का उपाय करना होगा। हमारी भारतीय रिज़र्व बैंक अकादमी बनाने की योजना है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ और बैंक अधिकारियों को उच्च स्तरीय कौशल प्रदान किया जा सके। और जो स्टाफ-सदस्य लगातार अच्छे कार्य कर रहे हैं उन्हें और भी चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपते हुए पुरस्कृत किया जाए। इन सबके लिए मानव संसाधन विकास की दिशा में अत्यधिक प्रयास करने की ज़रूरत है जो अत्यंत आवश्यक है।

समापन

46. भारतीय रिज़र्व बैंक एक कुशल संगठन है जिसने 1981 से लेकर अब तक अपने कर्मचारियों की संख्या को 35,500 से धीरे-धीरे घटाते हुए 16,700 कर लिया है, जबकि कार्य पहले से कहीं अधिक मात्रा में किए जा रहे हैं। इस वर्ष इसने अपने कार्यकलापों से ₹659 बिलियन का अधिशेष कमाया है जिसे पूर्ण रूप से सरकार को दे दिया गया है। हालांकि, इसे बढ़ाए जाने की संभावनाएं सदैव बनी रहेंगी। उदाहरण के लिए जनता के प्रति अपनी वचनबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमने अपनी वेबसाइट पर समय-सीमा बता रखी है जिसके भीतर जनसाधारण भारतीय रिज़र्व बैंक को किए गए आवेदन का उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। हम दी गई समय-सीमा पर नज़र रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे स्टाफ उस वचन को पूरा करें।

47. भारतीय रिज़र्व बैंक की सफलता का प्रमुख कारक उसके स्टाफ-सदस्यों की संतुष्टि है। बीते समय में, रिज़र्व बैंक को कनिष्ठ अधिकारियों को आकर्षित करने तथा केवल कुछ ऐसे अधिकारियों से वंचित हो जाने जिन्होंने आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, में कोई समस्या नहीं होती थी। आज हम इतने अधिक ऐसे अधिकारियों को खो रहे हैं जिनके बिना हम सहज नहीं हैं। यही कारण है कि हम अपने स्टाफ को जिस प्रकार के पेशेवराना चुनौतियों के प्रति बदलाव लाने का प्रस्ताव दे रहे है, वस्तुतः उसकी अत्यधिक आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि हमने जिस प्रकार के परिवर्तनों की रूपरेखा पूर्व में प्रस्तुत की है वह हमें और अधिक आकर्षक नियोक्ता बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इस संबंध में, मुआवजे के बारे में हमारी समीक्षा, अरसे से लंबित हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन में सुधार का मामला अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

48. मैं अपनी बात अपने सभी 16,700 सहकर्मियों को पिछले वर्षों में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए समाप्त करना चाहूंगा और इस महान संस्था के 81वें वर्ष के अवसर पर और भी बेहतर निष्पादन की चुनौतियां प्रस्तुत करता हूँ ताकि भारतीय रिजर्व बैंक आने वाले अनेक वर्षों तक राष्ट्र की समृद्धता तथा सभी के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने में सतत रूप से सेवा प्रदान करना जारी रख सके।